शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा

लव–कुष नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.) 450001, दूरभाष– 0733.2245000, 2245001
Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

क्रमांक 5898 / पैरामेडिकल / छात्र शाखा / शा.चि.म. / 2021 खण्डवा, दिनांक :– 14/08/2021

//सूचना//

कार्यालय राजिस्ट्रर, मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद (म.प्र.) के पत्र क्रमांक क्रमांक / कोविड / मान्यता 20–21 / 2410 / 2021 भोपाल दिनांक 19 जुलाई 2021 के परिपालन में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा (म.प्र.) द्वारा संचालित पैरामेडिलक पाठ्यक्रम के समस्त प्राध्यपक एवं विभागाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि कोविड–19 के नियमों का पालन करने हुये दिनांक 16 / 08 / 2021 से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा (म.प्र.) द्वारा संचालित पैरामेडिलक पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र् 2020–21 (डिग्री / डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्स) के अध्ययनरत् छात्रों की प्रशिक्षण के लिये पोस्टिंग एवं ऑफलाईन कक्षाऐ संचालित किया जाना हैं।

शासन के निर्देशानुसार एवं कोविड–19 प्रोटोकॉल के तहत् –

1. सभी छात्र–छात्राओं को अपने अभिभावकों का सहमति पत्र एवं स्वयं का वेक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ में लेकर आना अनिवार्य होगा।
2. महाविद्यालय एवं संबंद्ध जिला चिकित्सालय में मास्क, हेंडवॉश, सेनेटाइजर, ग्लब्स सर्जिकल केप, का उपयोग अनिवार्य हैं।
3. सभी छात्र–छात्राओं को सोसल डिस्टेंसिंग, सेनेटाईजर एवं गॉस्क का उपयोग करना अनिवार्य हैं।
4. समस्त छात्र / छात्राऐ कोविड–19 के नियमों एवं संस्था के नियमों का पालन करेंगें।
5. समस्त छात्र / छात्राऐ पाठ्यक्रम से संबंधित विभाग में अनिवार्य रूप से उपस्थिति दर्ज करें।
6. समस्त छात्र / छात्राऐ को प्रशिक्षण एवं काक्षाओं के दौरान Blue Apron पहनना अनिवार्य होगा।

विशेष टीप :– कोविड–19 वैश्विक महामारी के रूप में अति संक्रमण जनित रोग है, जिससे बचाव एवं स्वास्थय की सुरक्षा की जवाबदारी आपकी स्वयं की रहेगी।

संलग्न :–

1. मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद (म.प्र.) के पत्र छायप्रिति।

(डॉ. अनंत टी. पवार),
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)

पृ. क्रमांक .... / पैरामेडिकल / छात्र शाखा / शा.चि.म. / 2021 खण्डवा, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)।
2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)।
3. आयुक्त, इन्दौर, संभाग इन्दौर (म.प्र.)।
4. कलेक्टर, जिला खण्डवा ।
5. नोडल अधिकारी, पैरामेडिकल शाखा शास. चिकित्सा महावि. खण्डवा (म.प्र)
6. समस्त विभागाध्यक्ष, शा,चि.महा.वि. खण्डवा (म.प्र.)
7. समस्त नोटिस बोर्ड शा,चि.महा.वि. खण्डवा (म.प्र.)

(डॉ. अनंत टी. पवार),
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)

कार्यालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद
(M.P. PARAMEDICAL COUNCIL)
(A Statutory Body of the Government of Madhya Pradesh)
तृतीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, माता मन्दिर रोड, भोपाल

क्रमांक / कोविड / मान्यता 20–21 / 2410 / 2021 भोपाल, दिनाँक 19 जुलाई 2021

कोविड–19 / अति–आवश्यक

प्रति,

संचालक / प्राचार्य,

....,

....,

....

विषय :– पैरामेडिकल संस्थाओं के अध्यापन कार्य प्रारंभ किये जाने विषयक।

संदर्भ :– मान. मंत्री महोदय के द्वारा प्रदान किए गये निर्देश दिनांक 16.06.2021 के पालनार्थ।

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्राप्त निर्देशों के परिपालन में लेख है कि पैरामेडिकल संस्थाओं में अध्यापन कार्य प्रारंभ किये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते है :–

1. शैक्षणिक सत्र 2020–21 हेतु पैरामेडिकल संस्थाओं का अध्यापन कार्य माह जुलाई के अंत तक प्रारंभ किया जा सकेगा।
2. अध्यापन कार्य हेतु कक्षाऐं प्रारंभ किये जाने के पूर्व समस्त छात्र–छात्राओं का कोविड वेक्शीनेशन अनिवार्य रुप से कराया जाना होगा, जिस हेतु समस्त संस्था संचालक संबंधित जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से उक्त कार्य संपादित करने हेतु अनुरोध करेगें।
3. समस्त कक्षाऐं ऑफ लाईन पद्धति के माध्यम से संचालित की जाएगी।
4. कक्षाओं में उपस्थित समस्त छात्र–छात्राओं का कोविड प्रोटोकॉल के तहत सोशल डिस्टेंसिग का पालन करते हुए बैठक व्यवस्था बनाई जायें।
5. समस्त संस्थाओं को प्रवेश के पूर्व कोविड प्रोटोकॉल के तहत सेनेटाईजर एवं मास्क की समुचित व्यवस्था एवं अनिवार्यता सुनिश्चित करना अनिवार्य होगां।
6. हॉस्टल एवं मेस के संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. कोरोना तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए कक्षाऐं प्रारंभ होने के एक माह के भीतर समस्त छात्र–छात्राओं को चिकित्सक की देखरेख में कोविड प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जायें ताकि आवश्यकतानुसार विषम परिस्थितयों में उक्त छात्र–छात्राऐं सहयोग प्रदान कर सकें।

समस्त संस्था प्राचार्य को निर्देशित किया जाता है कि कृपया उपरोक्तानुसार समस्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन करवाना अनिवार्य होगा।

रजिस्ट्रार

मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद

निरन्तर.....2